न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 115/2013

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार याद, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

अनवान प्रार्थीगण – 1.प्रभूराम पुत्र रणछोड़राम के का.मु.:–
1.बाबू 2.गुलाब फौत के का.मु. 3.उतमाराम
4.अमृत पि.प्रभूराम, 5.रामू बेवा प्रभूराम
जाति वजीर,
निवासी बाखासर, तहसील सेड़वा।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार सेड़वा

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – श्री बाबूलाल विश्नोई

निर्णय

दिनांक :– 07.06.2018

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सं. 1 से 4 के पिता व प्रार्थी सं. 5 के पति प्रभूराम की खातेदारी का खेत मौजा बाखासर में खेत खसरा सं. 203/1/1 रकबा 50.00 बीघा (वर्तमान खसरा सं. 848/203) का आया हुआ है। जिसके संबंध में प्रार्थीगण के पिता व पति प्रभूराम की वास्तविक जाति वजीर है लेकिन भूलवश राजस्व अधिकारियों ने राजस्व रेकर्ड में प्रभूराम की जाति वजीर के स्थान पर राजपूत अंकित दी , लेकिन पूर्व के राजस्व रेकर्ड में प्रभूराम की जाति वजीर अंकित है। उसकी वास्तविक जाति वजीर ही है। उसके राशन कार्ड, मतदान परिचय पत्र अन्य समस्त दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता व पति की जाति वजीर ही है।

इसलिए प्रार्थीगण के पिता व पति प्रभूराम की जाति राजपूत के स्थान पर पुनः वजीर दुरस्त करवाने हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामिल सुदा प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार को तथ्यात्मक जांच हेतु लिखा गया । पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प बाखासर में पेश हुई । पक्षकार उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया ।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि मौजा प्रार्थीगण सं. 1 से 4 के पिता व प्रार्थी सं. 5 के पति प्रभूराम की खातेदारी का खेत मौजा बाखासर में खेत खसरा सं. 203/1/1 रकबा 50.00 बीघा (वर्तमान खसरा सं. 848/203) का आया हुआ है। जिसके संबंध में प्रार्थीगण के पिता व पति प्रभूराम की वास्तविक जाति वजीर है लेकिन भूलवश राजस्व अधिकारियों ने राजस्व रेकर्ड में प्रभूराम की जाति वजीर के स्थान पर राजपूत अंकित दी , लेकिन पूर्व के राजस्व रेकर्ड में प्रभूराम की जाति वजीर अंकित है। उसकी वास्तविक जाति वजीर ही है। उसके राशन कार्ड, मतदान परिचय पत्र अन्य समस्त दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता व पति की जाति वजीर ही है। अतः राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति प्रभूराम की जाति राजपूत के स्थान पर वजीर करना न्यायोचित होगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश है कि मौजा बाखासर में खेत खसरा सं. 203/1/1 रकबा 50.00 बीघा (वर्तमान खसरा सं. 848/203) में प्रार्थीगण के पिता व पति प्रभूराम की जाति राजपूत के स्थान पर वजीर दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प बाखासर में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2018/1406 दिनांक 15/6/18

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 115/13 अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. अनवान प्रभूराम के का.मु. बनाम तहसीलदार सेड़वा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन